राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प 7(53)परि/नियम/मु./2006/II

जयपुर, दिनांक : 02.04.2012

कार्यालय आदेश ...03. /2012

विषय :— कार्यालय आदेश संख्या 09/2011 दिनांक 15.07.2011 "फिजा 2011" में संशोधन।

केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 63 से 73 के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी, परिवहन आयुक्त होने के कारण पूर्व प्रसारित कार्यालय आदेश संख्या 9/2011 दिनांक 15.07.2011 "निजी फिटनैस जांच केन्द्र विनिमयन स्कीम फिजा—2011" में तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :—

(1) बिन्दु 4 के खण्ड (ii) में लिखित "प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा तैयार कर अपनी स्पष्ट अनुशंषा के साथ मुख्यालय को पूर्व स्वीकृति हेतु भेजी जायेगी" के स्थान पर "जिला परिवहन अधिकारी द्वारा तैयार कर अपनी स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को भेजी जायेगी।" प्रतिस्थापित किया जायेगा।"

(2) बिन्दु संख्या 4 के अंतिम पैरा के स्थान पर 'आवेदक को प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद ही सॉफ्टवेयर एवं स्टेशनरी (प्रारूप—30) जारी की जायेगी।" प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(3) बिन्दु संख्या 6 के खण्ड (viii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावेगा :—

"प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण करने से पूर्व संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि फिटनैस जांच केन्द्र द्वारा पूर्वावधि में समस्त नियमों, दिशा—निर्देशों की पूर्ण पालना की गयी है एवं नवीनीकरण से संबंधित प्राधिकारी, निर्धारित चैक लिस्ट अनुसार जांच कर संतुष्टी करेगा, तत्पश्चात ही प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण किया जावेगा।"

(4) आदेश के साथ संलग्न प्रारूप—1 के अंत में "हस्ताक्षर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी" के स्थान पर, "हस्ताक्षर जिला परिवहन अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(5) आदेश के साथ संलग्न प्रारूप—2 के अंत में "हस्ताक्षर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी" के स्थान पर "हस्ताक्षर जिला परिवहन अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जावेगा।

परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

DSR/Rules/Latter/hindi latter